~~परिवाद धारा 6 (ए)(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-10-23	प्रार्थी श्री जसा ऊदरीया पुत्र वीसा निवासी पघुड़ा तहसील अंजार जिला गांधीधाम–कच्छ (गुजरात) के खास मुख्तयार वावू भाई पुत्र लखमण भाई चाद निवासी शक्ति नगर पघुड़ा, तालुका अंजार कच्छ (गुजरात) की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना–पत्र धारा 6 (ए)(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत परिवाद पर थानाधिकारी पुलिस थाना वाड़मेर ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं अभियोजन अधिकारी वाड़मेर को सुना गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद में पुलिस थाना वाड़मेर सदर के प्रकरण सं. 189/2023 राज्य वनाम अशोक कुमार व अन्य में जब्तशुदा टैंकर संख्या जीजे 12 वीएक्स 0459 मय पेट्रोलियम पदार्थ को सुपुर्दगी पर दिलाये जाने का निवेदन किया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथन में प्रकट किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन के पुलिस थाने में पड़ा रहने से उसके कल–पुर्जों के खराव होने से आर्थिक नुकसान होगा। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन सुपुर्दगी के वाद जव भी न्यायालय द्वारा तलव किये जाने पर अपने खर्चे से हाजिर कर दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी वावत न्यायालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की पालन की जावेगी तथा वाहन का हस्तान्तरण/वेचान अथवा रद्दोवदल नहीं किया जावेगा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर 2002 Supp(3) SCR 39 सुन्दरभाई अम्वालाल देसाई वनाम गुजरात राज्य प्रस्तुत की गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा जवाव में निवेदन किया कि प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना वाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट अनुसार वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन मालिक व अन्य	

जिला कलक्टर
वाड़मेर

से अनुसंधान किया जाना शेष हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ की अनुसंधान में आवश्यकता रहेगी।

हमने उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। गैर सायल के कब्जे से जब्तशुदा वाहन टैंकर सं. जीजे 12 बीएक्स 0459 मय पेट्रोलियम पदार्थ को सुपुर्दगी पर देने का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी वाहन मालिक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अनुसंधान कर्ता थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन, माल के मालिक, ट्रांसपोर्ट मालिक तथा माल खरीददार फर्म आदि से अनुसंधान किया जाना शेष हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ की अनुसंधान में आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता हैं तब तक जब्तशुदा आवश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ एवं उसके परिवहन में उपयोग लिये गये वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार प्रकरण की जांच एवं विचारण के दौरान जब्तशुदा सम्पति को सुपुर्दगी पर दिये जाने का प्रावधान अभिकथित हैं। हस्तगत प्रकरण में पुलिस की ओर से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु एवं वाहन के निस्तारण हेतु अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ हैं और न ही परिवाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। ऐसे में पुलिस अनुसंधान में उक्त जब्तशुदा आवश्यक वस्तु एवं वाहन की आवश्यकता होने से प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद्देनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों एवं दाखिल दफ्तर हों।

जिला कलक्टर
बाड़मेर